मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक:एफ 13–3/05/अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक 4/7/2008

परिपत्र

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोल वितरण हेतु प्रक्रिया एवं नीति

भारत शासन की नवीन कोल वितरण नीति के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम को प्रदेश में कोल आवंटन/वितरण हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है । प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, जिनकी कोल की वार्षिक खपत 4200 टन तक है, को कोल का आवंटन/वितरण म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया जायेगा । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कोल आवंटन/वितरण हेतु निम्नानुसार प्रकिया/नीति लागू की जा रही है:–

1. कोयला प्राप्त करने हेतु पात्रता :–

केवल ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोल का आवंटन किया जायेगा, जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत हैं अथवा जिनके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की गई है । कोल का आवंटन केवल उन्हीं इकाइयों को किया जावेगा, जिनकी कि अनुशंसा जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा की गई है । एक बार जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन हो जाने के उपरांत पुनः जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । एक बार कोल का दुरूपयोग प्रमाणित पाये जाने पर ऐसी इकाइयों को भविष्य में कोल आवंटन की अनुशंसा नहीं की जायेगी ।

2. कोयला प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें कि कोल की नियमित आवश्यकता होती है, अपने कोल की मांग निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा म.प्र. लघु उद्योग निगम में प्रस्तुत कर सकते हैं । लघु उद्योग निगम में प्राप्त आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु भेजे जावेंगे । औद्योगिक इकाइयों को अपने आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:–

(1) निर्धारित प्रारूप में आवेदन
(2) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पंजीयन अथवा दी गई उद्यमी ज्ञापन की पावती की प्रति

(3) वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीयन

(4) खनिज का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त उत्खनन/ माईनिंग लीज की प्रति ।

(5) इकाई का विगत वर्ष का चार्टर्ड अकाउन्टेंट से आडिटेड एकाउन्टस, जिसमें गत वर्ष क्रय किये गये कोल की मात्रा एवं मूल्य दर्शाया गया हो ।
नवीन इकाई होने की स्थिति में इकाई द्वारा 75 प्रतिशत पूंजी निवेश हो जाने की पुष्टि के बाद ही अधिकतम तीन माह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अनुशंसा की जाए ।

2.1 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई का स्थल निरीक्षण कार्यालय के दो अधिकारियों (प्रबंधक/सहायक प्रबंधक) के दल द्वारा संलग्न प्रारूप में करवाया जावेगा । निरीक्षणकर्ता दल में सम्मिलित अधिकारी इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारियों का सत्यापन करने एवं स्थल पर इकाई द्वारा स्थापित मशीनों, उपलब्ध संसाधनों एवं रोजगार के आधार पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा करेंगें तथा इन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर निर्णय प्राप्त करेंगें ।

2.2 कोयले की अनुशंसा हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	उपायुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	सदस्य
3.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी	सदस्य
4.	जिला उद्योग संघ का प्रतिनिधि (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
5.	खनिज अधिकारी	सदस्य
6.	उप मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. लघु उद्योग निगम, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर	सदस्य
7.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

2.3 जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी । आवश्यकता होने पर कलेक्टर और अधिक बैठक भी आयोजित कर सकेंगे ।

2.4 कलेक्टर अपने विवेक से कुछ औद्योगिक इकाइयों का, यदि वे चाहें तो, अपने स्तर से भी निरीक्षण करवा सकेंगे । कलेक्टर एवं महाप्रबंधक अनुशंसा के पूर्व ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, एवं डीजल इंजन से अपने उत्पाद

बनाते हैं तथा कोल बिक्रेट/ कोल कान्डी बनाने वाली इकाईयों व चूना भट्टों एवं ईट भट्टों के पक्ष में कोयले की अनुशंसा करने के पूर्व पूर्ण सतर्कता बरतेंगे । पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही इकाइयों के पक्ष में कोयले की अनुशंसा की जावें ।

2.5 उक्त समिति इकाइयों को लगने वाली कोयले की प्रतिमाह आवश्यकता एवं ग्रेड का आंकलन करते हुए कोयले की अनुशंसा करेगी ।

2.6 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इकाइयों की सूची एवं प्रतिमाह आवंटित किये जाने वाले कोयले की मात्रा का उल्लेख करते हुए पृथक से अनुशंसा पत्र निगम को प्रस्तुत करेगा ।

2.7 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र किसी इकाई की अनुशंसा प्रेषित करते समय इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि इकाई वर्तमान में कार्यरत है ।

2.8 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द, जो कि समिति के सदस्य सचिव है, एक पंजी का संधारण करेंगे जिसमें समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों को बैठक के तत्काल उपरांत अभिलिखित कर लिया जावे जिससे अनुशंसा में अनावश्यक विलम्ब न हो । यह रिकार्ड तत्काल कम्प्यूटर में भी दर्ज कर निगम को साफ्ट कॉपी में सूचित किया जावे, ताकि वे इसे निगम की वैब साईट पर उपलब्ध करा सकें ।

2.9 जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के तत्काल उपरांत अधिकतम 03 दिवस में कोल प्रदाय की अनुशंसा म.प्र. लघु उद्योग निगम को भेज दी जावे । इस अनुशंसा के साथ औद्योगिक इकाई के द्वारा प्रस्तुत आवेदन की एक अतिरिक्त प्रति दस्तावेजों के सहित प्रेषित की जावे ।

3. कोयला प्राप्ति हेतु अपात्र इकाइयां :–

3.1 कोल ग्रेडिंग/साईजिंग/पल्वराईजिंग एवं पावडर निर्माण, जहां पर कि कोई वेल्यू एडीशन नहीं है, का कार्य ।

3.2 ईट निर्माण करने वाले हाथ भट्टों को अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के एक वर्ष बाद कोल प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

3.3 कोल बिक्रेट, कोल कान्डी निर्माण करने वाली इकाइयां जो कि डीजल इंजन से उत्पादन करती हैं ।

4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत कोयला प्राप्त करने की प्रकिया :–

म.प्र. लघु उद्योग निगम के द्वारा भारत सरकार की नवीन कोल वितरण नीति के अनुरूप कोल का आवंटन किया जावेगा । ऐसी इकाइयों जिन्हें कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है, के पक्ष में कोल का आवंटन किया जावेगा । कोल प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रकिया होगी :–

4.1 आवेदक इकाइयों को निर्धारित प्रारूप में लघु उद्योग निगम से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करना होगा ।

4.2 इस विषय का शपथ पत्र दिया जाए कि औद्योगिक इकाई द्वारा सिर्फ लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयला प्राप्त किया जावेगा, किसी अन्य कोल कम्पनी से नहीं ।

4.3 म.प्र. लघु उद्योग निगम के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो निम्नानुसार होगा:–

(1)	मध्यम उद्योग इकाई	रूपये 1000/–
(2)	लघु उद्योग इकाई	रूपये 500/–
(3)	अति लघु इकाई	रूपये 250/–

4.4 भारत सरकार की नवीन कोल वितरण नीति के अनुसार यदि लघु उद्योग निगम के पक्ष में आवंटित मात्रा के 60 प्रतिशत से कम लिफ्टिंग की जाती है तो नहीं उठाये गये कोल के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि की पेनाल्टी ली जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कारण लघु उद्योग निगम के पक्ष में आवेदक इकाइयों को अपने एक माह के कोल के मूल्य के 50% के बराबर बैंक गारंटी, जो एक वर्ष के लिये वैध होगी, प्रस्तुत करना होगी । इकाई को यह विकल्प होगा कि वह बैंक गारंटी के स्थान पर एन.एस.सी. /एफ.डी.आर., जो कि निगम के पक्ष में प्लेजड हो, प्रस्तुत कर सकती हैं ।

5. कोयले के उपयोग की जांच प्रकिया :–

5.1 इकाई द्वारा कोल प्राप्ति के उपरान्त दूसरे दिवस प्राप्ति की सूचना जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी जिसका भौतिक सत्यापन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कराया जायेगा, जिसमें इकाई द्वारा प्राप्त कोल के भण्डारण परिवहन के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा म.प्र.लघु उद्योग निगम पृथक से प्रत्येक त्रैमास में कोयले की उपयोगिता की जांच कराई जायेगी जिसके लिए निरीक्षण निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा । जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाणित किये जाने पर आगामी त्रैमास में कोयला दिये जाने की अनुशंसा म.प्र.लघु उद्योग निगम की ओर प्रेषित की जायेगी ।

5.2 निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ सम्बन्धित त्रैमास में किये गये विद्युत बिल के भुगतान, वाणिज्यिक कर के भुगतान एवं माईनिंग रायल्टी की पावती की प्रति प्रस्तुत की जावे ।

5.3 कलेक्टर/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिन इकाइयों के पक्ष में कोल आवंटन की अनुशंसा की जा रही है, उनकी सूची अनुशंसित मात्रा सहित कार्यालय के सूचना पटल, लघु उद्योग संघ तथा स्थानीय समाचार पत्रों में समुचित प्रचार प्रसार हेतु जारी करेंगे ।

6. उक्त नीति निर्देशों का कियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवश्यकता होने पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा उद्योग आयुक्त से परामर्श कर इन निर्देशों के बारे में मार्गदर्शन/व्याख्या जारी की जा सकेगी ।

यह नीति 01 अप्रेल, 2008 से प्रभावशील होगी व भविष्य में इसके पुनरीक्षण तक लागू रहेगी ।

(सत्य प्रकाश)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 13–3/05/अ–ग्यारह/ भोपाल, दिनांक 1/7/2008

प्रतिलिपि :

1. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
6. अध्यक्ष– सह–प्रबंध संचालक, पूर्व/पश्चिम /मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिडेट– जबलपुर/इंदौर और भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल ।
8. उपायुक्त / सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जिला ———————— ।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला ———————— ।
10. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, ———— मध्यप्रदेश ।

(टी.सी. लोहनी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग